

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

20510
पृष्ठ

सेवा में,

निदेशक

स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-7

लखनऊ : दिनांक 22 जून, 2012

विषय: नागर निकायों द्वारा संचालित ऐसे विद्यालयों, जिनमें कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन का भुगतान शिक्षा विभाग से प्राप्त अनुदान द्वारा किया जाता है, के अवकाश प्राप्त शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पेंशन एवं अन्य अवशेष देयकों के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि नागर निकायों द्वारा संचालित ऐसे विद्यालयों, जिनमें कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन का भुगतान शिक्षा विभाग से प्राप्त अनुदान द्वारा किया जाता है, के अवकाश प्राप्त शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पेंशन एवं अन्य अवशेष देयकों के भुगतान की समस्या के निस्तारण के संबंध में मुख्य राज्य उ.प्र. की अध्यक्षता में दिनांक 30.04.2012 को वित्त/शिक्षा/न्याय विभाग तथा नगर विकास विभाग के साथ एक बैठक आहूत की गयी। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नगर विकास विभाग की ओर से पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 08 अप्रैल, 2009 के अनुसार दिनांक 29.03.2007 के पूर्व नगर निगम द्वारा संचालित विद्यालयों के सेवा निवृत्त शिक्षकों के पेंशन का भुगतान नगर निगम द्वारा तथा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त शिक्षकों के पेंशन का भुगतान शिक्षा विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ ही उपरोक्त प्रकृति के विद्यालयों के समस्त सेवानिवृत्त शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के भी पेंशन व अन्य देयों का भुगतान शिक्षा विभाग द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया।

2. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में प्रश्नगत प्रकृति के विद्यालयों के अवकाश प्राप्त शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक देयों का भुगतान शिक्षा विभाग द्वारा किये जाने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए समस्त नागर निकायों को अपने स्तर से निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नक - प्रधापरि

25/6/12

R-2 G.O.

भवदीय,

21/6/2012
(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
5. गार्ड फाइल / कम्प्यूटर प्रॉग्राम।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

नागर निकाय द्वारा संचालित ऐसे विद्यालयों, जिसमें कार्यरत कार्मिकों का वेतन शिक्षा विभाग से प्राप्त अनुदान द्वारा किया जाता है, के अवकाश प्राप्त शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पेंशन/अवशेष भुगतान के संबंध में मुख्य सचिव, उ.प्र. की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक 30.04.2012 का कार्यवृत्त।

उपस्थिति:

सर्व श्री,

01. प्रवीर कुमार, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
 02. संजीव मित्तल, सचिव, वित्त विभाग, उ.प्र. शासन।
 03. पार्थ सारथी सेन शर्मा, सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ.प्र. शासन।
 04. अनिसुख सिंह, विशेष सचिव, न्याय विभाग, उ.प्र. शासन।
 05. श्रीप्रकाश सिंह, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
 06. वी.के.एल. श्रीवास्तव, विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ.प्र. शासन।
 07. विद्या सागर शुक्ल, विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ.प्र. शासन।
 08. एन.पी. सिंह, नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
 09. नगेन्द्र प्रताप सिंह, नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
 10. अबरार अहमद, नगर आयुक्त, नगर निगम, बरेली।
 11. एन.के. सिंह चौहान, नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर।
 12. राजेन्द्र सिंह, नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।
 13. सुरेन्द्र कुमार राय, वित्त नियंत्रक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
2. बैठक में नागर निकायों द्वारा संचालित ऐसे विद्यालयों, जिनमें कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन का भुगतान शिक्षा विभाग से प्राप्त अनुदान द्वारा किया जाता है, के अवकाश प्राप्त शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पेंशन एवं अन्य अवशेष देयकों के भुगतान की समस्या के निस्तारण के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया।
3. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि पेंशन भुगतान की जिम्मेदारी उसी विभाग की होनी चाहिए जहाँ से कार्मिक को वेतन प्राप्त होता है। विभिन्न मामलों के निस्तारण में मा. न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "Pension is nothing but deferred wages" है। स्थानीय निकायों द्वारा संचालित सहायता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान उ.प्र. हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कॉलेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम 1971 द्वारा विनियमित होता है। ऐसे विद्यालयों/कॉलेजों में नगर निगम की भूमिका मात्र प्रबन्धक की होती है। नगर विकास विभाग द्वारा शिक्षा विभाग के साथ बैठक कर नगर विकास विभाग की ओर से एक शासनादेश दिनांक 08 अप्रैल, 2009 निर्गत किया गया जिसके अनुसार शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या: 746/15-8-2007 दिनांक 29.03.2007 के आलोक में दिनांक 29.03.2007 के पूर्व नगर निगम द्वारा संचालित विद्यालयों के सेवा निवृत्त शिक्षकों के पेंशन का

भुगतान नगर निगम द्वारा तथा इसके उपरान्त सेवानिवृत्त शिक्षकों के पेंशन का भुगतान शिक्षा विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

4. सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा यह अवगत कराया गया कि मा. उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों द्वारा प्रश्नगत विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अवकाश प्राप्त देयों व पेंशन भुगतान हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग को उत्तरदायी/दायित्वाधीन मासा गया है जिसके लिये शिक्षा विभाग द्वारा कार्यवाही करने हेतु सहमति प्रदान की गयी।

5. बैठक में निष्कर्षतः यह मत स्थिर किया गया कि नागर निकायों द्वारा संचालित ऐसे विद्यालयों जिनमें कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतन भुगतान शिक्षा विभाग से प्राप्त अनुदान से होता है, के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पेंशन एवं अन्य देयकों के भुगतान का दायित्व शिक्षा विभाग का है।

इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा आवश्यकतानुसार अपने संगत प्रभावी अधिनियमों/नियमावलियों एवं कार्यकारी आदेशों में संशोधन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

प्रवीर कुमार
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-7
संख्या- 1300 /नौ-7-12-191रिट/2011
लखनऊ : दिनांक : 11 मई, 2012.

प्रतिलिपि नियमालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. प्रमुख सचिव/सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ.प्र. शासन।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उ.प्र. शासन।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय उ.प्र. लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्तानुसार अपने स्तर से संबंधित को निर्देश जारी करने का कष्ट करें।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ.प्र.।
5. समस्त अधिकारी अधिकारी, नागर निकाय द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय उ.प्र.।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

०८/५/2012
(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।